## न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 2021 / 103

–: वादीगण :–

1. हड़मानराम पुत्र सुजाराम
2. गीता पुत्री सुजाराम
3. जबरी पुत्री सुजाराम
4. सिपुदेवी पत्नी सुजाराम

जाति जाट निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

गोपाराम पुत्र खियाराम फौत का पुत्र किसनाराम फौत के कायम मुकाम

1. माणकराम पुत्र किसनाराम
2. प्रकाश पुत्र किसनाराम
3. साया पुत्री किसनाराम

जाति जाट निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

4. तहसीलदार भोपालगढ़

**राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित:–

1. श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राकेश कुमार रलिया, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
3. सरकारी पैरोकार।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 01.12.2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आयी हुई है, जिसको आगे दावे में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। सबूत में जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व अन्य सहखातेदार के नाम की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जासुद भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 वां हिस्सा रेकर्ड दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि है जो वादीगण की पुश्तैनी सहदायगी सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के दादा गोपाराम के नाम रहन दर्ज हो गया लेकिन उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण के दादा का नाम रहन के कारण दर्ज हो गया जिसको हटाना आवश्यक है। अभी हाल ही में वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने गये तब हल्का पटवारी ने बताया कि रेकर्ड में तुम्हारे साथ प्रतिवादीगण के दादा गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम दर्ज है, इसलिये गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम हटाकर दुरूस्त करवाना आवश्यक है क्योंकि गोपाराम पुत्र खियाराम फौत हो चुके है व उनके पुत्र किशनाराम पुत्र गोपाराम भी फौत हो चुके है। उक्त खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के दादा गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम हटाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के दादा का नाम रहन होने के कारण दर्ज हो गया जबकि अब किसी प्रकार का रहन नही है। वादग्रस्त आराजी ग्राम कुम्भारा के खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 की भूमि वादीगण की पुश्तैनी सम्पति हैं। उक्त सम्पति पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ... हिस्सा की भूमि में गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम हटाकर अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने के हकदार है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर राजस्व रेकर्ड में गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम हटाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को ... सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से पेश जवाबदावा में बताया गया कि वादपत्र के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:59:04 IST
Reason: SelfAttested

पद संख्या 10 इस्तदुआ है जो सही है क्योंकि हमारे पूर्वज गोपाराम पुत्र खियाराम का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्ज काश्त नही था न ही हमारे पिता किसनाराम का कब्जा काश्त था। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वादी का वाद सही तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाब पेश किया गया। इसलिये तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही है।

राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कुम्भारा में दिनांक 01.12.2021 को पेश हुई। वादी संख्या 01 हड़मानराम व प्रतिवादी संख्या 02 प्रकाश उपस्थित जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाब पेश किया गया। अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## –:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में गोपराम पुत्र खियाराम का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

01/12/21

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 01.12.2021 को कैम्प कोर्ट कुम्भारा में सुनाया गया।

01/12/21

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:59:04 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :—सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला—जोधपुर
**बईजलास** :—श्री हवाई सिंह यादव ,आर0ए0एस0

—: वादीगण :—
1. हड़मानराम पुत्र सुजाराम
2. गीता पुत्री सुजाराम
3. जबरी पुत्री सुजाराम
4. सिपुदेवी पत्नी सुजाराम

जाति जाट निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—
गोपाराम पुत्र खियाराम फौत का पुत्र किसनाराम फौत के कायम मुकाम
1. माणकराम पुत्र किसनाराम
2. प्रकाश पुत्र किसनाराम
3. साया पुत्री किसनाराम

जाति जाट निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

4. तहसीलदार भोपालगढ़

**राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** — मु0न0 :रा0वा0 स0: 2021/103

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .........—....... व हाजरी श्री रामकिशोर चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में गोपाराम पुत्र खियाराम का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 339 के खसरा नं. 416 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में गोपराम पुत्र खियाराम का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....—.....मुबलिक.....—.....बाबत......—.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....—......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....—......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज तारीख 01.12.2021 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला—जोधपुर (राज.)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | | | मिजानः– | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:59:04 IST
Reason: SelfAttested